भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

...

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2110

(28 जुलाई, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए)

बेघर लोगों का सर्वेक्षण

2110. श्री महेन्द्र सिंह माहराः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के उन आवासहीन गरीबों का सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है जो बहुत गरीब हैं परन्तु गरीबी रेखा (बीपीएल) श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आ सके हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे गरीब आवासहीन लोगों को रहने के लिए घर उपलब्ध हो सके, इसके लिए मंत्रालय क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय के पास अन्य कोई विकल्प है, जिससे इन आवासहीन गरीब लोगों को घर मिल सके?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क): भारत का महापंजीयक (आरजीआई) हर दस वर्ष बाद जनगणना कराता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देशभर के बेघर लोगों का सर्वे भी शामिल होता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न गरीबी उपशमन योजनाओं के तहत पात्रता निर्धारण के लिए आवासीय एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत के महापंजीयक का कार्यालय एवं जनगणना आयुक्त और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ मिलकर अलग से सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 कराई।

(ख) और (ग) : प्यूपल्स यूनियन आफ सिविल लिबरटीज (पीयूसीएल) द्वारा 2001 में दायर रिट याचिका सं.196 पर 5 मई 2003 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वे बीपीएल परिवार जो बीपीएल सूची से बाहर रह गए हैं को राज्यों द्वारा बीपीएल सूची में शामिल किया जाए। मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं।